जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

चूरू

Rashtradoot

फोनः- 256906, 256907, फैक्सः- 01562-256908 वर्षः 14 संख्याः 179 प्रभात चूरू, शुक्रवार 28 अक्टूबर, 2022 पो. रजि. न. चूरू/084/2019-21 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

अमेरिका के राज्य मेन में 50 साल से टर्न और पफिन चिड़ियों की आबादी को सुरक्षित करने के प्रयासों के परिणामस्वरुप अब एक स्थायी कॉलोनी विकसित हो गई है जहां हजारों की तादाद में पक्षी प्रजनन करते हैं। पैटीट मनान व आस-पास के अन्य छोटे द्वीपों पर स्थित कॉलोनी के पक्षियों ने बीसवीं सदी में क्लाइमेट चेंज का सर्वाधिक बुरा असर झेला है लेकिन अब संरक्षण प्रयासों के बाद ये फिर से पहले की तरह लौट रहे हैं और प्रजनन कर रहे हैं। ज्ञातव्य है कि मेन में पफिन का इतना ज्यादा शिकार किया गया कि, वर्ष 1902 तक मात्र 2 पफिन बची थीं। मेन कोस्टल आइलैंड्स नैशनल वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज में ऑडबन सोसायटी के एक सदस्य ने 1972 में न्यूफाउण्डलैण्ड से पफिन के चूजे लाकर यहां बसाने शुरु किए। आज यहां के विभिन्न द्वीपों पर पफिन के 1300 से ज्यादा जोड़े हैं। इनमें अधिकतर ईस्टर्न एग रॉक, सील आईलैंड और मैंटिनिकस रॉक द्वीपों पर हैं। यह प्रॉजैक्ट इतिहास का पहला ऐसा प्रोजैक्ट है जिसमें सी बर्ड्स की वह कॉलोनी पुनः विकसित हुई, जिसे लोगों ने बरबाद कर दिया था। कॉमन टर्न, आर्कटिक टर्न और रोज़िएट टर्न हज़ारों की संख्या में पैटीट मनान द्वीप पर शरण लिया करते थे। यहां एक लाइट हाउस था। कई सालों तक उसकी देखभाल व संचालन यू.एस. कोस्ट गार्ड के लोग करते थे, फिर 70 के दशक में लाइट हाउस को स्वचालित कर दिया गया और कोस्ट गार्ड यहाँ से चले गए। इससे समुद्री पक्षी, गल्स की संख्या में असंतुलन हो गया, जो यहां घर बनाते थे। अस्सी के दशक में असंतुलन ठीक हुआ, क्योंकि टर्न, जो इस द्वीप को छोड़ गए थे, लौट आए और सन् 2000 आते-आते यहां टर्न के 2500 प्रजननरत जोड़े थे। पक्षियों की वापसी को देखकर प्रोजैक्ट पफिन से जुड़े छात्र व संरक्षणविद्, विपरीत परिस्थितियों से जूझने की इन पक्षियों की क्षमता को देखकर हैरान रह गए हैं। वर्ष 2009 में यहां पफिन के मात्र 47 जोड़े रह गए थे और सिर्फ 16 प्रतिशत बच्चे ही वयस्क हो पाए थे। गत वर्षों में ठंडे मौसम की वापसी से यहां प्रजनन की सफलता बढ़ी है। बड़ी संख्या में चूजे वयस्क हो रहे हैं तथा वयस्क पफिन प्रजनन के लिए घोंसले बना रहे हैं। कुछ प्रवासी टर्न लंबी-लंबी दूरी तय करके यहाँ आ रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन व जजों में बेचैनी है

बेचैनी का कारण है, जजों की नियुक्ति पर सरकार की ''पिक एण्ड चूज़'' नीति तथा सुप्रीम कोर्ट के कोलीजियम का सरकार की इस नीति पर चुप्पी रखना

- ''पिक एण्ड चूज़'' नीति के उदाहरण के बतौर बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता का, सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्ति का मामला गिनाया जाता है।
- न्यायाधीश दीपांकर दत्ता को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त करने का निर्णय सर्व सम्मति से 27 सितम्बर को लिया था, पर सरकार द्वारा अभी तक यह नियुक्ति नहीं दी गई है जबकि, जब सरकार का मन हो तो, पदोन्नति व नियुक्ति के मामलों पर कोलीजियम की राय प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे में ऑर्डर पारित कर दिये जाते हैं।
- दूसरा उदाहरण दिल्ली हाई कोर्ट के जज मुरलीधर का दिया जा रहा है। छब्बीस फरवरी 2020 को न्यायाधीश मुरलीधर ने केन्द्रीय सरकार के खिलाफ काफी सख्त टिप्पणी की थी और भाजपा नेता और अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा आदि द्वारा दिल्ली के साम्प्रदायिक दंगों से पहले उत्तेजना फैलाने व भड़काऊ भाषण देने के आरोपों के संदर्भ में, दिल्ली पुलिस, जो केन्द्रीय सरकार के अधीन काम करती है, द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने पर दिल्ली पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, यह स्पष्ट करने के लिये कि, क्या दिल्ली पुलिस एफ.आई.आर. दर्ज कर रही है या नहीं।
- न्यायाधीश अपना पूरा आदेश सुनाते उससे पहले अगले दिन ही न्यायाधीश का ट्रांसफर कर दिया गया था।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर। सुप्रीम कोर्ट कोलीजियम ने बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता को पदोन्नत कर सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने और उड़ीसा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एस. मुरलीधर का तबादला कर उन्हें मद्रास हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की एक माह पूर्व सिफारिश की थी, लेकिन केन्द्र सरकार ने इन्हें अब तक अनुमोदित नहीं किया है। इस विलम्ब ने न्यायपालिका में असहजता पैदा कर दी है क्योंकि इन आरोपों को पुनः बल मिला है कि सरकार जजों के मामले में अपनी पसंद का व्यक्ति चुनने की नीति अपना रही है। कोलीजियम की कई पूर्व सिफारिशें अब भी पैण्डिंग हैं, जिससे सरकार की ''पिक एण्ड चूज़'' पॉलिसी के आरोपों को बल मिल रहा है।

बार और न्यायपालिका में यह धारणा बनती जा रही है कि कोलीजियम के स्वयं की शक्ति को साबित करने के प्रति अनिच्छुक रहने से सरकार कुछ नियुक्तियां रोक के बैठी है या उनकी टुकड़ों में मंजूरी दे रही है, जिससे कुछ जज अपनी सीनियरिटी से वंचित हो रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इण्डिया (सी.जे.आई.) उदय उमेश ललित और सुप्रीम कोर्ट के चार अन्य सीनियर मोस्ट जजों ने गत 27 सितम्बर को सर्वानुमति से एक प्रस्ताव पारित कर जस्टिस दत्ता को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत करने की सिफारिश की थी।

जस्टिस दत्ता 22 जून 2006 को कलकत्ता हाई कोर्ट के स्थायी जज के रूप में नियुक्त हुए थे और 28 अप्रैल 2020 को उन्हें पदोन्नत कर बॉम्बे हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया था। मद्रास हाई कोर्ट उड़ीसा हाई कोर्ट से बड़ा है और जस्टिस मुरलीधर का तबादला वहां होने का अर्थ है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति की सिफारिश

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'प्रार्थी की इच्छा पर केस खत्म नहीं कर सकते, जारी रहेगी विधिक कार्रवाई'

ए.सी.बी. मामलों की विशेष अदालत-4 ने गणपति कंस्ट्रक्शन कम्पनी के एक मामले में यह टिप्पणी की

जयपुर, 27 अक्टूबर (का.सं.)। एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम-4 ने गणपति कंस्ट्रक्शन कंपनी को 2011 में एकल पट्टा जारी करने के मामले में कहा है कि परिवादी की इच्छा पर इस केस को खत्म नहीं किया जा सकता और इसमें विधिनुसार कार्रवाई जारी रहेगी।

कोर्ट ने कहा कि परिवादी ने अर्जी में कहा है कि वे यह केस आगे नहीं चलाना चाहते हैं, लेकिन उसने प्रोटैस्ट पिटिशन पेश की थी और इसमें सीआरपीसी के अध्याय 15 के प्रावधान लागू होते हैं।

यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट दी है तो कोर्ट खुद निर्धारण कर सकता है कि क्लोजर रिपोर्ट मंजूर किए जाने योग्य है या नहीं। ऐसे में प्रार्थी की इच्छा का कोई अर्थ नहीं है और उसकी अर्जी पर केस खत्म नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट में परिवादी की प्रोटैस्ट पिटीशन पेश करने वाले एडवोकेट संदेश खंडेलवाल मामले में कोर्ट ने कहा कि वह इस प्रकरण में तब तक पैरवी करेंगे जब तक कि परिवादी नियमानुसार अपना वकालतनामा विड्रो नहीं कर लेता। वकालतनामा विड्रो नहीं होने तक एडवोकेट संदेश खंडेलवाल व अनिल चौधरी परिवादी की पैरवी कर सकेंगे।

- अदालत ने साफ कहा कि, परिवादी ने अर्ज़ी में केस बंद करने के लिए कहा है, पर उसने प्रोटैस्ट पिटीशन दायर की थी, इसमें जो प्रावधान लागू होते हैं, उनके तहत प्रार्थी की इच्छा का कोई अर्थ नहीं है, उसकी अर्जी पर केस खत्म नहीं हो सकता।

पैरवी में विरोधाभास होने पर परिवादी का मत लिया जाएगा कि वे किससे पैरवी का समर्थन करते हैं। कोर्ट ने यह निर्देश परिवादी रामशरण सिंह की उस अर्जी पर दिया जिसमें उन्होंने एडवोकेट खंडेलवाल को सभी केसों में पैरवी करने के लिए दिया वकालतनामा वापस लेने की बात कही थी।

गौरतलब है कि रामशरण सिंह ने बेटे सुरेन्द्र के जरिए कोर्ट में अर्जी दायर कर कहा था कि उनकी उम्र 93 साल की हो गई है और वे गंभीर रूप से बीमार रहने लगे हैं।

मामले में काफी जांच-पड़ताल हो चुकी है, इसलिए वे इस केस आगे चलाना नहीं चाहते और एडवोकेट संदेश खंडेलवाल को भी अपने केसों में पैरवी नहीं करवाना चाहते।

मामले के अनुसार एसीबी ने 2014 में गणपति कंस्ट्रक्शन कंपनी को एकल पट्टा जारी करने में हुई धांधली की शिकायत पर कंपनी के प्रोपराइटर शैलेन्द्र गर्ग, यूडीएच के पूर्व सचिव जीएस संधू, जेडीए जोन-10 के तत्कालीन उपायुक्त ओंकारमल सैनी, निष्काम दिवाकर, गृह निर्माण सहकारी समिति के पदाधिकारियों अनिल अठावाल व विजय मेहता के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

वहीं प्रकरण में एसीबी ने यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, तत्कालीन यूडीएच उप सचिव एनएल मीणा को क्लीन चिट देते हुए तत्कालीन जेडीसी ललित के पंवार व तत्कालीन जेडीए अतिरिक्त आयुक्त वीएम कपूर के पक्ष में एफआर दी थी।

शर्मा की नियुक्ति पर सवाल

जयपुर, 27 अक्टूबर (का.सं.)। राजस्थान हाइकोर्ट ने विद्युत नियामक आयोग आयोग के चेयरमैन पद पर रिटायर आईएएस डॉ. बी.एन. शर्मा की नियुक्ति करने के मामले में मुख्य सचिव, राजस्थान विद्युत नियामक आयोग के सचिव, चयन बोर्ड व अन्य से चार सप्ताह में जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस पंकज मिथल व जस्टिस एम.एम. श्रीवास्तव की खंडपीठ ने यह आदेश मुकुल भत्तानी की जनहित याचिका पर दिए।

- रिटायर्ड आई.ए.एस. बी.एन. शर्मा, जिन्हें विद्युत नियामक आयोग में टैक्निकल मैंबर बनाकर 17 मई 2021 को नियुक्ति दी गई थी, के खिलाफ दायर याचिका पर हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है।

याचिका में बताया कि विद्युत नियामक आयोग में चेयरमैन सहित दो मैंबर्स का कमीशन होता है। इनमें से मैंबर का एक पद टैक्निकल होता है,

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

''वंदे भारत'' रेलगाड़ियों के निर्माण के टेन्डर जारी होंगे नवम्बर माह में

प्राइवेट पार्टियों से इन रेलगाड़ियों का निर्माण होगा तथा निर्माण कार्य की कीमत एक लाख करोड़ रूपये है

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर। प्रमुख वंदे भारत ट्रेन्स निर्माण के बड़े ठेके नवम्बर माह में दिए जाने की उम्मीद है। अगली पीढ़ी के सैल्फ प्रोपैल्ड ट्रेन सैट्स के 200 चेयरकार वेरिएन्ट्स के निर्माण की पहली नीलामी बिड 15 नवम्बर को खुलेगी, फिर 100 प्लस 10 स्लीपर क्लास ट्रेन्स के निर्माण की दो बिड्स क्रमशः 22 और 29 नवम्बर को छूटेंगी। ये करार भारी भरकम 11 लाख करोड़ रूपयों के होंगे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अगस्त 2023 तक 75 ट्रेन्स के संचालन की योजनाओं की घोषणा की है, जबकि मार्च 2024 तक भारतीय ग्रामीण क्षेत्र में करीब 100 वंदे भारत ट्रेन्स के संचालन की संभावना है। कुल 400 वंदे भारत ट्रेन्स के निर्माण की योजना है, लेकिन जैसा कि प्रायः देखा गया है, काम हाथ में लेने के दौरान कई मुश्किलें आ सकती हैं। भारतीय रेलवे का अपने प्रोजैक्ट्स को पूरा करने का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है और कई ऐसे प्रोजैक्ट्स हैं, जिनकी शुरूआत तो काफी धूम-धड़ाके के साथ की गई थी, लेकिन उन्हें सरसरी तौर पर ही छोड़ दिया गया। भारतीय रेलवे प्राइवेट ट्रेन्स के बाद अब ट्रेनों की प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग की परिकल्पना को मूर्त रूप देने पर आ गया है। जैसा कि वंदे भारत के नीलामी दस्तावेजों से पता चलता है, भारत में पहली बार पूरी ट्रेन के निर्माण का ठेका दिया जाएगा, ना कि सिर्फ प्रोपल्शन सिस्टम्स और उपकरणों के निर्माण का। भारतीय रेलवे इसके

- पहली बार प्राइवेट पार्टियों को यह काम सौंपा जायेगा तथा प्राइवेट पार्टियों को रेलवे की जमीन, मशीनें और तकनीकी स्टाफ को काम में लेने की सुविधा दी जायेगी तथा निर्माण कार्य करने वाली पार्टियों को इन मशीनों व रेल मंत्रालय के तकनीकी कर्मचारियों से काम लेने के लिये किराया देना होगा तथा रेलवे के स्टाफ को उनकी तनख्वाह व भत्ते देने होंगे।
- इस प्लान के अनुसार 400 वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण होगा।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

75000 नौकरियां किसे मिलीं?

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर। कांग्रेस ने गुरूवार को प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि वह रविवार को एक वीडियो कॉन्फ्रैंसिंग के जरिए स्वयं द्वारा 75 हजार जनों को नियुक्ति पत्र दिए जाने की डिटेल्स सार्वजनिक करें।

- कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से कहा है, रविवार को रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रैंसिंग के जरिए जिन 75000 लोगों को उन्होंने नियुक्ति पत्र दिए हैं, उनका ब्यौरा सार्वजनिक किया जाए।

कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि ''इसके लिए एक वैबसाइट बननी चाहिए, जिसमें सारी सूचना सार्वजनिक हो और कोई भी यह चैक कर सके कि प्रधानमंत्री के रोजगार मेले में किसे जॉब मिली।'' रोजगार योजना के प्रचार को प्रधानमंत्री का एक और

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दक्षिण भारत की यात्रा पर निकला भाजपा ''विजय रथ'' दलदल में फंसा?

तेलंगाना में टी.आर.एस. पार्टी प्रमुख व मु.मंत्री ने आरोप लगाया कि, तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है, चार टी.आर.एस. विधायकों को खरीदने के आरोप में

-लक्ष्मण वेंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का दक्षिण-भारत अभियान, जिसका उद्देश्य विंध्याचल के दक्षिणी हिस्से, जो भाजपा के लिये करीब-करीब अछूता था, से अधिक से अधिक सीटें निकालना था, गड़बड़ होता दिखाई दे रहा है। उसके द्वारा हाल ही में उठाये गये कुछ कदमों के फलस्वरूप उसकी अब तक रही राजनैतिक उपलब्धि भी संकट में पड़ती नजर आ रही है।

भाजपा के लिये दक्षिणी भारत का सबसे अहम दरवाजा माने जाने वाला कर्नाटक उसके सामने आज चुनौतियाँ खड़ी कर रहा है और यह चुनौती उस पार्टी की तरफ से आ रही है, जिसे भाजपा इतिहास के कूड़ेदान की सामग्री माने बैठी है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा तथा उसके स्थानीय नेतृत्व की आक्रामक सार्वजनिक छवि के जरिये, कांग्रेस के पुनरुत्थान के कुछ ठोस चिन्ह दिखाई देने लगे हैं। भाजपा के लिये एक अनिष्टसूचक घटना के अन्तर्गत, उसका ''ऑपरेशन कमल'' उन तीन लोगों की गिरफ्तारी के साथ ही निष्फल हो गया है, जो कथित रूप से, तेलंगाना राष्ट्र समिति के विधायकों को ''खरीदने'' की कोशिश कर रहे थे। गिरफ्तार किये गये इन तीन लोगों में भगवान बालाजी के तिरुपति मंदिर का एक पुजारी भी शामिल है। हैदराबाद के एक फार्म हाउस, जो टी.आर.एस. के एक विधायक का है, से बहुत बड़ी मात्रा में नकदी भी जब्त की गई है। इस फार्म हाउस में, ये तीनों ही गिरफ्तार लोग इस बिन्दु पर चर्चा कर रहे थे कि टी.आर.एस. विधायकों को बहुत बड़ी धनराशि देकर तथा महत्वपूर्ण पदों का वादा करके भाजपा में लाया जाये। कहा जा रहा है कि तेलंगाना के सजग मुख्यमंत्री तथा पार्टी प्रमुख के. चन्द्रशेखर राव तथा तेलंगाना के खुफिया तंत्र को इस योजना की भनक लग गई तथा पुलिस ने उस फार्म हाउस की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी, जिस पर ''आपरेशन कमल'' का केन्द्र होने का संदेह था।

- सायबराबाद के पुलिस कमीशनर ने प्रेस कॉन्फ्रैंस में बताया कि, जिन तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, उनसे भारी नगदी व स्वर्ण आभूषण मिला है तथा इन तीन व्यक्तियों में तिरूपति मंदिर का एक पुजारी भी शामिल है।
- जिन चार विधायकों को खरीदने की बातचीत चल रही थी, उनके फोटो भी टी.वी. पर दिखाये गये तथा ये चारों सीधे मु.मंत्री के.सी. आर. के घर पहुंचे और वक्तव्य दिया कि, वे मु.मंत्री के सिपाही हैं तथा उनको खरीदने का प्रयास कभी सफल नहीं हो सका।
- इन चार विधायकों में से तीन कांग्रेस के टिकट पर जीते थे तथा जीत के बाद टी.आर.एस. में शामिल हुए थे।
- भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा, पुलिस जो सत्ता पक्ष की सहचरी है, ने यह पूरा खरीद का नाटक किया है, मु.मंत्री की प्रेरणा से।

साइबराबाद पुलिस कमिश्नर स्टीफन रवीन्द्र ने मीडिया को बताया कि इस राजनैतिक गतिविधि का मुख्य आरोपी की पहचान रामचन्द्र भारती उर्फ सतीश शर्मा के रूप में हुई है जो हरियाणा के फरीदाबाद नगर के एक मंदिर से जुड़ा कोई महात्मा है और दिल्ली में रहता है। फार्म हाउस से गिरफ्तार हुये दो अन्य लोगों में एक तिरुपति मंदिर का पुजारी डी. सिमहायाजी तथा दूसरा सरुरनगर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

उमेश मिश्रा नए डी.जी.पी. नियुक्त

जयपुर, 27 अक्टूबर। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर आई.पी.एस. अफसर उमेश मिश्रा (आर.आर. 1989), डायरैक्टर जनरल ऑफ पुलिस इंटैलीजैंस राजस्थान, जयपुर, को दो वर्ष की अवधि (सेवानिवृति की तिथि का विचार किए बिना) या अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक के लिए राजस्थान का पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया है।

- वे मोहन लाल लाठर का स्थान लेंगे जो 3 नवम्बर को रिटायर हो रहे हैं।

वे मोहनलाल लाठर की जगह लेंगे, जो 3 नवम्बर को रिटायर होने जा रहे हैं।